

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 4655
दिनांक 22 जुलाई, 2019

बायो-डीजल

4655. श्री रमेशभाई लवजीभाई धडुकः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

- (क) क्या देश में बायो-डीजल की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बायो-डीजल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए क्या मानदंड है;
- (ख) क्या बायो-डीजल बेचने वाले आउटलेट्स ने इस संबंध में सरकार से कोई स्वीकृति ली है;
- (ग) जैव ईंधन फसलों की खेती को बढ़ाने के लिए कृषि और कृषि विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या मंत्रालय कृषि और कृषि विकास मंत्रालय के साथ मिलकर किसानों से जैव ईंधन की फसल खरीदने के बाद इस ईंधन की न्यूनतम मूल्य पर बिक्री कर रही है, सुनिश्चित करने का वचन है?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वनिर्दिष्ट मश्रण सीमाओं और वनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार, सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को हाईस्पीड डीजल के साथ मश्रण के लिए बायो डीजल (बी100) की सीधी बिक्री करने की अनुमति दिनांक 29 जून, 2017 से दे दी है। इस उद्देश्य के लिए, दिनांक 01.05.2019 की अधिसूचना द्वारा "परिवहन उद्देश्यों के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मश्रण हेतु बायो डीजल की बिक्री संबंधी दिशा निर्देश-2019" जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत पेट्रो लयम कार्पोरेशन ल0 (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ल0 (आईओसीएल) ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की मदद से जटरोफा का रोपण करने के लिए संयुक्त उद्यम (जेवीज) स्वीकृत देयता भागीदारी (एलएलपीज) पर हस्ताक्षर किए थे।

बीपीसीएल ने "भारत रिन्युएबल एनर्जी ल0 (बीआरईएल)" नाम की एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी बनाई थी जिसने पंचायतों के साथ उनकी बंजर भूमि पर जटरोफा/पोंगे मया पौधे उगाने के लिए करार किया था। यह जेवी कंपनी कम उत्पादकता और अत्यधिक प्रचालन लागत के कारण बंद हो गई थी।

इसी प्रकार, आईओसीएल ने पंचायत की बंजर भूमि पर ग्राम पंचायतों द्वारा जटरोफा के रोपण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की 'जीवन ज्योति योजना' नामक परियोजना में भागीदारी करने के लिए एक एलएलपी फर्म अर्थात् 'इंडियन ऑयल रूच बायो फ्यूल्स एलएलपी' का निर्माण किया था। एलएलपी ने 1818 हेक्टेयर भूमि पर जटरोफा का रोपण करवाया था। आईओसीएल को एलएलपी छोड़नी पड़ी क्योंकि जैव ईंधन उत्पादन के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा कोई बीज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
